भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-*12
सोमवार, 19 जुलाई, 2021/28 आषाढ़, 1943 (शक)

नौकरी छूट जाना

***12. कुंवर दानिश अलीः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विकास दर में वृद्धि के बावजूद गत कुछ वर्षों के दौरान रोजगार के अवसरों में कमी तथा नए रोजगारों की संख्या कम होने के क्या कारण हैं;
(ख) गत पांच वर्षों के दौरान अपनी नौकरी खो चुके व्यक्तियों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।
**

"नौकरी छूट जाना" के संबंध में कुंवर दानिश अली द्वारा पूछे गए लोक सभा के दिनांक 19-07-2021 के तारांकित प्रश्न संख्या *12 के भाग (क) से (ग) के लिए दिए जाने वाले उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) एवं (ख): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा 2017-18 से आयोजित किए जा रहे सावधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगारी/बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, सर्वेक्षण देश में रोजगार/बेरोजगारी के परिदृश्य को दर्शाता है।

2017-18 और 2018-19 के दौरान आयोजित किए गए पीएलएफएस के परिणामों के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) के आधार पर 15 वर्ष तथा उससे अधिक की आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर क्रमशः 6.0% तथा 5.8% है।

(ग): भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सामाजिक सुरक्षा लाभों सहित नए रोजगार के सृजन तथा रोजगार की पुनःबहाली के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) 1 अक्तूबर, 2020 से आरंभ की गई है। ईपीएफओ द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं के वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कामगारों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार दो वर्ष की अवधि हेतु ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, उन नए कर्मचारियों हेतु, जिनका मासिक वेतन 15000/- रुपए प्रतिमाह से कम है, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ताओं के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान वहन कर रही है। योजना के अंतर्गत नए कर्मचारियों में वे कर्मचारी शामिल हैं जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपना रोजगार गंवा दिया तथा जो 30.09.2020 तक इपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में भर्ती नहीं हुए। योजना के तहत लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 किया गया है।

नए रोजगार का सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व में 01.04.2016 से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) को आरंभ किया गया था। इस योजना के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ के माध्यम से 15000/- रुपए तक कमाने वाले नए कर्मचारियों हेतु 3 वर्षों की अवधि हेतु नियोक्ता के अंशदान अर्थात् 12% का भुगतान कर रही है। प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 थी। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को इस योजना के तहत पंजीकरण की तिथि से तीन वर्षों अर्थात् 31 मार्च, 2022 तक लगातार लाभ प्राप्त होगा।

पीएम स्व-निधि योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों को कोविड़ पश्च अवधि के दौरान फिर से अपना व्यापार शुरू करने में सहायता करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाया है।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए, सरकार देश में पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) तथा प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जो कि क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही हैं, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठा रही है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है।

******